न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 93/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/245

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
मफतलाल उर्फ मफाराम पुत्र रामाजी जाति–दर्जी, निवासी–छोटी विरोल, हाल–प्रतापपुरा, तहसील–सांचौर	विक्रम गोद पुत्र चमनाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 28.11.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बाजक व नरेन्द्र कुमार डांगरा उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 9 लगायत 11 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 17.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा विरोल में पुराना खेत खसरा संख्या 181 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 182 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 443 रकबा 1.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443/829 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा संख्या 829/850 रकबा 0.01 हैक्टेयर नससृजित हुए है। उक्त खेतों में रामा, चमना व छोगा तीनों प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज था तथा अप्रार्थी संख्या 01 जो मुझ प्रार्थी के भाई बाबुलाल का जायन्दा पुत्र था तथा चमना के गोद चला गया किन्तु मृतवफी छोगा जो मुझ प्रार्थी का सगा चाचा लगता था तथा व नाऔलाद फौत हो जाने से मृतक छोगा के 1/3 हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा स्व. रामा के परिवार यानि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 का काननून बनता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 की नियत में खोट आ जाने से तथा मृतक छोगा के 1/3 हिस्से की पूरी जमीन हड़प करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 01 मृतक गवरी बेवा चमना का गोद पुत्र होते हुए मृतक गवरी बैवा छोगा का पौता बताकर एक फर्जी वसीयत तैयार कर मृतक गवरी का 1/3 हिस्सा की भूमि फर्जी तरीके से राजस्व कार्मचारियों से मिलकर उसके अकेले के नाम करवा दी तथा उक्त वसीयत में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसकी वल्दीयत बाबुलाल लिखी गई जबकि चमना व छोगा दोनों नाऔलाद फौत हुए थे तथा मृतक चमना व छोगा के बाबुलाल नाम का कोई पुत्र नहीं था जबकि अप्रार्थी संख्या 01 जो मृतक वादी के गोद चले जाने से उसकी वल्दीयत गोद पुत्र चमना है व इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजी गलत तरीके से कानून से परे जाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम करवाकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

भूमि को आगे से आगे उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 02 के नाम उक्त भूमि दान कर दी गई जो ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 01 को कतई अधिकार न तो था व न ही है उक्त अवैध दान पुत्र में अप्रार्थी संख्या 01 विक्रम कुमार ने अपनी वल्दीयत बाबुलाल उर्फ चमनाराम लिखा है जो दोनों अलग अलग व्यक्ति है तथा चाचा भतीज है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जारी फरमावें कि मौजा छोटी विरोल के खेत खसरा संख्या 443, 446, 447, 443/829, 829/850 में मुझ प्रार्थी के 1/18 हिस्से में मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं दखलंदाजी करें व न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड से परे जाकर दस्तावेजी सबूतों से परे जाकर मौका स्थिति से भिन्न जाकर हमारे खिलाफ वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसका कोई आधार नहीं है न ही मौके पर कब्जा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार व बेबूनियाद होने से मय कोष्ठ खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 8 ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 6 व 8 को कोई आपत्ति अथवा एतराज नहीं है।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा छोटी विरोल पटवार हल्का विरोल के खेत खसरा नंबर 443 रकबा 1.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443/829 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा संख्या 829/850 रकबा 0.01 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थीग[illegible] रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]द कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर